न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर ए एस

प्रार्थना पत्र सं. :– 183/2022

1. गुड्डी देवी पत्नी गोपीराम जाति जाट साकिन खोंथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

–– प्रार्थिया

–:बनाम:–

1. लिछमनराम पुत्र गोपालराम जाति जाट साकिन खोथांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जगराज सिंह भारी –– प्रार्थिया
2. श्री हीरालाल बिरथलिया –– अप्रार्थी संख्या 1
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा –– अप्रार्थी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए मय 151 सीपीसी प्रार्थिया की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया गया है जिसमें तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है। प्रार्थिया के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 29 एमओडी–बी के खाता सं. 260/24 के प.नं. 24/253 (30) किला नं. 1/1, 1/2, 10, प.नं. 25/253 (31) किला नं. 2 ता 8 कुल तादादी 2.277 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 29 एमओडी–बी के खाता सं. 171/140 के प.नं. 25/253 (31) किला नं. 1/3 की 0.063 हैक्ट. नहरी खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थीया की कृषि भूमि गांव खोथांवाली के चिपते ही दक्षिण दिशा में है। किला नं. 1 के चिपते ही बजानिब उत्तर दिशा पूर्व पश्चिम गांव खोथांवाली की फिरनी है। जिस पर सीसी रोड़ बनी हुई है। प्रार्थिया गांव की फिरनी से अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि चक 29 एमओडी–बी के खाता सं. 171/140 के प.नं. 25/253 (31) किला नं. 1/3 की 0.063 हैक्ट. में से 0.004 हैक्ट. रास्ता बजानिब उतर पूर्वी दिशा में कॉर्नर रास्ता से आना जाना करती है व कृषि औजार लाती व ले जाती है। उक्त चाहा गया रास्ता मौका पर चालू है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीया के पास अपनी भूमि में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है। इसलिये अब प्रार्थीया अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि चक 29 एमओडी–बी के खाता सं. 171/140 के प.नं. 25/253 (31) किला नं. 1/3 की 0.063 हैक्ट. में से 0.004 हैक्ट. रास्ता बजानिब उतर पूर्वी दिशा में कॉर्नर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है। रास्ता की भूमि के बदले में प्रार्थीया डीएलसी दर की दोगुना राशि अथवा रास्ता में आई भूमि की एवज में उतनी भूमि अप्रार्थी सं. 1 को देने के लिये तैयार है। चालू रास्ता की फोटो संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी सं. 2 जो कि भू धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि चक 29 एमओडी–बी के खाता सं. 171/140 प.नं. 25/253 (31) किला नं. 1/3 की 0.063 हैक्ट. में से 0.004 हैक्ट. चालू रास्ता बजानिब उत्तर दिशा कॉर्नर रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.31 11:31:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी में तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त अनवान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क रा.का.अधि. माननीय न्यायालय में पेश किया हुआ है जिसमें प्रार्थिया को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है। यह कि प्रार्थीया के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 29 एमओडी–बी के खाता सं. 260/24 के प.नं. 24/253 (30) किला नं. 1/1, 1/2, 10, प.नं. 25/253 (31) किला नं. 2 ता 8 कुल तादादी 2.277 है. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी सं.1 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 29

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

एमओडी–बी के खाता सं. 171/140 के प.नं. 25/253 (31) किला नं. 1/3 की 0.063 हैक्ट. जहरी खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थीया की कृषि भूमि गांव खोथांवाली के चिपते ही दक्षिण दिशा में है। किला नं 1 के किनारे ही बजानिब उतर दिशा पूर्व पश्चिम गांव खोथांवाली की फिरनी है जिस पर सीसी रोड बनी हुई है। प्रार्थीया गाव की फिरनी से अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज भूमि चक 29 एमओडी–बी के खाता नं 171/140 के प.नं. 25/253 (31) किला नं. 1/3 की 0.063 हैक्ट. में से 0.004 हैक्ट. रास्ता बजानिब उतर पूर्वी दिशा में कॉर्नर रास्ता से आना जाना करती है व कृषि औजार लाती व ले जाती है। उक्त चाला गया रास्ता मौका पर चालू है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीया के पास अपनी भूमि में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है। इसलिये अब प्रार्थीया अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज भूमि चक 29 एमओडी–बी के खाता नं 171/140 के प.नं. 25/253 (31) किला नं. 1/3 की 0.063 हैक्ट. में से 0.004 हैक्ट. रास्ता बजानिब उतर पूर्वी दिशा मे कॉर्नर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है परन्तु अब अप्रार्थी सं.1 उक्त चालू रास्ता को बन्द करने की फिराक मे है। अगर अप्रार्थी सं.1 उक्त चालू रास्ता को बन्द कर देता है तो प्रार्थीया का अपनी कृषि भूमि में आना जाना बन्द हो जायेगा व प्रार्थीया कृषि कार्य करने से महरूम हो जायेगी। जिससे प्रार्थीया को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी। प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जावे कि अप्रार्थी सं.1 अपने नाम दर्ज कृषि भूमि में चल रहे रास्ता चक 29 एमओडी–बी के खाता सं. 171/140 के प.नं. 25/253 (31) किला नं. 1/3 की 0.063 हैक्ट. में से 0.004 हैक्ट. रास्ता बजानिब उतर पूर्वी दिशा में कॉर्नर रास्ता को बन्द नही करे व प्रार्थीया के आवागमन में बाधा कारित न करे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की जारी की जावे कि अप्रार्थी सं.1 अपने नाम दर्ज भूमि चक 29 एमओडी–बी के खाता सं. 171/140 के प.नं. 25/253 (31) किला न. 1/3 की 0.063 हैक्ट. में से 0.004 हैक्ट. रास्ता बजानिब उतर पूर्वी दिशा में कॉर्नर रास्ता को बन्द नही करे व प्रार्थीया के आवागमन में बाधा कारित न करे।

प्रार्थना पत्र परस्तुत होने पर सरिसता की रिपोर्ट के बाद दर्ज रजिस्टर किया गया एवं 1000 रु की कोस्ट पर नायब तहसीलदार पीलीबंगा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। दिनांक 16.08.22 को मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर चक 29 एमओडी–बी के खाता सं. 171/140 के प.न. 25/253 (31) किला नं. 1/3 की 0.063 हैक्ट. में से 0.004 हैक्ट. रास्ता बजानिब उतर पूर्वी दिशा मे भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा पाबंद किया गया एव अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए।

अधिवक्ता श्री हीरालाल बिरथलिया द्वारा अप्रार्थीसख्या 1 की ओर से वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र परस्तुत किया गया है जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीसंख्या 1 म तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 पंजीकृत पता से संबंधित है। प्रार्थना पत्र की मद स 2 राजस्व रिकॉर्ड की हद तक स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद स. 3 राजस्व रिकॉर्ड की हद तक स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 असत्य, मनगढ़त व मिथ्या होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया की कृषि भूमि गांव खोंथावाली के दक्षिण दिशा मे स्थित न होकर पूर्व दिशा मे स्थित है। किस पत्थर या मुरब्बा के किला नं. 1 के बेजानिब उत्तर दिश में गांव खोथावाली की फिरनी है का स्पष्ट विवरण प्रार्थीया द्वारा नही दिया गया है, चूंकि प्रार्थीया को ज्ञान ही नही है कि प्रार्थीया की कृषि भूमि कहां स्थित है. रहा प्रशन गांव मे सीसी रोड बने होने का तो वह सम्पूर्ण खोथावाली गांव मे ही सी.सी. रोड का निर्माण किया हुआ है। प्रार्थीया मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि के प.नं. 25/253 के किला नं. 1/3 मे से किसी भी प्रकार से आवगमन नही करती है और ना ही मौका पर रास्ता चालू है। तहसीलदार रिपोर्ट के बिन्दु सं. [illegible] स्पष्ट है कि [illegible] की कृषि भूमि में कोई रास्ता मौका पर चालू नही है और ना ही मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि के राजस्व [illegible] लेख मे कोई स्वीकृत शुदा रास्ता लगता है. ऐसी स्थिति मे जब मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि की [illegible] के रिकॉर्ड अनुसार कोई स्वीकृत रास्ता नही लगता है तो प्रार्थीया मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि से जबरन रास्ता स्वीकृत नही करवा सकती है। मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि के उत्तर दिशा मे गांव खोथांवाली की आबादी स्थित है, ऐसी स्थिति मे यदि प्रार्थीया रास्ता भी स्वीकृत करवाना चाहती है तो सर्वप्रथम प्रार्थीया को सचिव ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पचायत खोथांवाली व विकास अधिकारी पंचायत समिति पीलीबंगा को पक्षकार के रूप मे संयोजित कर ही गाव मे मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि के उत्तर दिशा मे फिरनी है तथा उक्त फिरनी पंचायत समिति व ग्राम पचायत के रिकॉर्ड मे स्वीकृत है और भविष्य मे उक्त फिरनी का उपयोग सार्वजनिक हर आम खास के लिए किये जाने की अनापत्ति या जबाव आने की स्थिति में ही प्रार्थीया मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि म से रास्ता

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.31 11:31:52 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकृत करवाने की अधिकारिनी है। इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र पक्षकार के अभाव मे भी प्रारम्भतः स्तर पर ही खारिज योग्य है।

प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 6 अस्वीकार है। प्रार्थीया जिस रास्ता से मिन अप्रार्थी तथा गांव की फिरनी के सहयोग से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है तो उस स्थिति मे सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व कोर्ट को न होकर सिविल कोर्ट को है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व होने के कारण से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र में तहसीलदार पीलीबंगा से मौका एवं रिकॉर्ड के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू नही है। रास्ते में आने वाली भूमि से संबंधित काश्तकार को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य स्वीकृत शुदा रास्ता प्रार्थी को नही लगता है। कम दूरी का अन्य कोई रास्ता नही लगता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नही है। प्रकरण में पटवारी हल्का एवं भू0अभि0निरी0 के साथ हमने स्वयम् ने मौका निरिक्षण किया। प्रार्थिया द्वारा रास्ता ग्राम पंचायत खोथावाली की फिरनी पर चाहा गया है अतः प्रकरण में विकास अधिकारी पंचायत समिति पीलीबंगा से रिपोर्ट प्राप्त की गई पत्रांक पंसपी/पंचायतशाखा/2024/3412 दिनांक 24.07.24 से रिपोर्ट प्राप्त हुई मुताबिक रिपोर्ट चक 29 एमओडी (बी) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ के खाता संख्या 171/140 के प.न. 253(31) किला न 1/3 की 0.063 है0 में से 0.004 है0 ग्राम पंचायत फिरनी से जोड़ा जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

बहस उभय पक्षसुनी गई अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के बदले प्रतिकर के रूप में भूमि देने पर सहमती व्यक्त की गई। बहस पर मनन कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेजों शपथ पत्र अवलोकन एवं तहसीलदार पीलीबंगा व विकास अधिकारी पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजो अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट व प्रस्तुत नक्शा एव मौका निरीक्षण के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा कम दूरी का रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी चाहा गया रास्ता लघुत्तम है। इसके अतिरिक्त रास्ता हेतु अन्य लघुत्तम विकल्प भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए के प्रावधानों के अनुरूप साबित होने पर स्वीकार किया जाता है कि तहसील पीलीबंगा चक 29 एमओडी–बी के खाता सं. 171/140 के प.नं. 25/253 (31) किला नं. 1/3 की 0.063 हैक्ट. में से 0.004 हैक्ट. रास्ता बजानिब उत्तर पूर्वी दिशा में कॉर्नर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। विधि विभाग अधिसूचना 5 सितम्बर 2023 द्वारा 1955 राजस्थान अधिनियम संख्या 3 की धारा 251–क के तहत उक्त रास्ता के प्रतिकर के रूप में समान कीमत की और उसकी भूमि से लगी हुई भूमि इसी चक खाता संख्या 260/24 प.न. 25/253 मु.न. 31 किला न. 2/.004 हैक्ट. किला नं. 1 के चिपते हुए भूमि के अंतरण के आधार पर प्रतिकर के रूप अप्रार्थी संख्या 1 को इस रास्ता की एवज में प्रार्थी द्वारा दी जावे।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा द्वारा आदेशानुसार उक्त रास्ते की भूमि का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिनाक 29/07/2024 को मेरे द्वा[illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.31 11:31:52 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा